बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ।
Email:- cesinchaisrijanwrdbiharsharif@gmail.com

पूर्नः अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना संख्या (EOI)–02/2026–27

पत्रांकः–मु0अ0बि0श0–56/2026......1726 **/बिहारशरीफ,** **दिनांकः–**......13.05.26

विभागीय आदेश संख्या *01/पी०एम०सी०/विविध/149/2002*–253 दिनांक 15.03.2024 से निर्गत नहर संचालन तथा रख–रखाव हेतु लागू मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के Clouse 4(i) के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग,नालन्दा, बिहारशरीफ परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ/जहानाबाद/उदेरास्थान/घोषी/नवादा/रजौली एवं शेखपुरा के क्षेत्राधीन नहर सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यक मजदूर सप्लाई कार्य/विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की आपूर्ति कार्य/विभिन्न प्रकार के मशीनों की आपूर्ति कार्य इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओवरहेड रहित) पर अथवा अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालन्दा, बिहारशरीफ/नवादा द्वारा स्वीकृत दर पर निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी इत्यादि के आपूर्ति/सेवा हेतु संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों पर इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रण किया जाता है।

1. संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं का जल संसाधन विभाग के किसी श्रेणी में या संबंधित जिला में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा। श्रेणी चार में जिला विशेष के पथ प्रमंडल द्वारा निबंधित संवेदक संबंधित जिला में कार्य करने के लिए आवेदन दे सकते है।
2. निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार/विभागीय नियम/दिशा–निर्देश लागू होंगे।
3. सभी प्रकार के टैक्स/रॉयल्टी/मालिकाना फिस/GST/INCOME TAX/LABOUR CESS इत्यादि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
4. इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के साथ निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति बंद लिफाफा में जमा करना होगा :–

   I संवेदक का नाम
   II संवेदक के पिता का नाम
   III संवेदक का पूर्ण स्थाई एवं अस्थाई पताः–
   IV वैध निबंधन पत्र।
   V जी०एस०टी० नं० की प्रति।
   VI आधार कार्ड की छाया प्रति।
   VII मोबाईल नं०/Whatsapp mobile No
   VIII पैन कार्ड की प्रति।
   IX वैध आचरण प्रमाण–पत्र।
   X ई–मेल आई०डी०।
   XI इच्छित प्रमंडल का नामः–

5. निविदादाताओं को निम्न रुप से अंकित बिन्दुओं के साथ शपथ–पत्र मूल में जमा करना होगा :–
   i. "I the undersigned do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting''
   ii. कार्य मिलने पर मैं गुणवत्ता एवं विशिष्टी के साथ विभागीय रूप से कार्य सम्पादित करने को तैयार हूँ। गुणवत्ता एवं विशिष्टी के अनुरुप कार्य नहीं पाए जाने पर विभाग कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।
   iii. कार्य मिलने पर वे स्वयं स्थल पर अपने संसाधनों (मजदूर आदि) के साथ चौबीस घंटे मुस्तैद रहेंगें एवं ऐसा नहीं करने पर विभाग उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई कर सकती है।

6. तकनीकी रुप से योग्य पाये गये इच्छुक संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं को प्रमंडलवार सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति/सेवा लिया जाएगा।

7. परिक्षेत्रान्तर्गत नामित प्रमंडल द्वारा आकस्मिकता के आधार पर मांगे गए सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति उसी दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8. सूचीबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं से सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति हेतु संबंधित प्रमंडल द्वारा न्यूनतम दर प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता से एकरारनामा कर कार्य ससमय सम्पन्न कराया जाएगा। आकस्मिक कार्य के लिए न्यूनतम दर प्राप्त करने हेतु सूचना प्रमंडलीय सूचना पट्ट पर दिया जाएगा जिसे प्रतिदिन सूचीबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं द्वारा देखा जाना अपेक्षित होगा।

9. श्रमिको की आपूर्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अद्यतन दिशा–निर्देश/अधिसूचना को अक्षरसः अनुपालन किया जाएगा। श्रमिको का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दर के आधार पर करना अनिवार्य होगा।

10. मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीबद्धता का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का द्योतक नहीं होगा।

11. आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा मात्र मोबाईल फोन के माध्यम से भी सूचित कर उपलब्ध सूचीबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।

12. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान, आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

13. खरीफ सिंचाई/रबी सिंचाई अवधि में कार्य कराने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये दिशा–निर्देश का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. **इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)** का **आमंत्रण दिनांक–25.05.2026 से दिनांक 02.06. 2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक** कार्यपालक अभियंता, **आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, बिहारशरीफ** के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

15. मुख्य अभियंता को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सर्म्पक किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

5/5/2026

(मनोज कुमार)
मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ।

पत्रांक:–56/2026– 1726 **/बिहारशरीफ,** **दिनांक:–** 13.05.26

प्रतिलिपिः– परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ/जहानाबाद/उदेरास्थान/घोषी/नवादा/रजौली/शेखपुरा/आयोजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता।

13/5/2026

C:\Users\DELL\Desktop\Draft doc

पत्रांकः—56 / 2026— 1726 ***/बिहारशरीफ,*** **दिनांकः—** 13.05.26

प्रतिलिपिः— सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय / स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुः— Pdf एवं M.S Word Copy।

13/5/2026

मुख्य अभियंता।

पत्रांकः—56 / 2026— 1726 ***/बिहारशरीफ,*** **दिनांकः—** 13.05.26

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/2026

मुख्य अभियंता।